22-3-2022

वकील पक्षकारान उपस्थित। चूंकि मूल अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से आज खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से हटा हो।

सहा. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:00 IST
Reason: SelfAttested